बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0 (विविध)-03/2017-....1457/आ0 नि0 को0 दिनांक-19 नवम्बर'20

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

विषय :- **दिनांक-03 दिसम्बर'2020 को अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के परिप्रेक्ष्य में दिनांक-24 नवम्बर से 23 दिसम्बर'2020 तक दिव्यांग माह मनाने के क्रम में राज्य स्तर व जिला स्तर पर तथा अपने प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यक्रमों के आयोजन, कोविड-19 के संक्रमण एवं उससे उत्पन्न स्थितियों का दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों के निवारण हेतु यथा निदेशित आवश्यक कार्रवाई एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा सम्बन्धित आयोजनों/कार्रवाई के अनुवीक्षण के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अन्तर्राष्ट्रीय दिवस यथा विश्व विकलांग दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 के अन्तर्गत वर्ष 1992 से की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के अधिकारों की संरक्षा एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र व विकास में इनकी सहभागिता को बढ़ावा देना एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं इनके सुधार के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना है। वर्त्तमान वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की थीम Building Back Better : toward a disability - inclusive, accessible and sustainable post Covid-19 World" है। स्पष्ट है कि कोविड-19 के संक्रमण एवं उससे उत्पन्न स्थितियों ने विशेषकर दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को अपेक्षाकृत अधिक गहरे रूप से प्रभावित किया है। इन प्रभावों के निवारण हेतु कार्यालय द्वारा विविध पत्रों के माध्यमों से आवश्यक निदेश दिये गये हैं। दिनांक-24 नवम्बर से 23 दिसम्बर'2020 तक आयोजित दिव्यांग माह मनाने के क्रम में इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

विदित हो कि अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संगत ही राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का भी आयोजन प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर को किया जाता है, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगता प्रक्षेत्र से सम्बन्धित विविध प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बिहार राज्य द्वारा भी विगत वर्षों में इस दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा व सुरक्षा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-79 के प्रावधान अनुरूप नियुक्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) के उत्तरदायित्वों में अन्य के अतिरिक्त निम्न शामिल हैं कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) -

धारा-80 (च) - दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा।

धारा-80 (छ) - दिव्यांगजनों के लिए आशायित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय के अनुरूप अधिकार निहित है।

उक्त के आलोक में राज्य व जिला स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस वर्ष 2020 (03 दिसम्बर'2020) के अवसर पर किये जाने वाले आयोजन/कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उल्लिखित हैं :-

(क) उक्त दिवस को राज्य व जिला स्तर पर दिव्यांग माह (दिनांक-24 नवम्बर से 23 दिसम्बर'2020) के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि के मध्य आने वाले दिनांक-08 दिसम्बर'2020 को राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

क्0पृ0उ0............

(ख) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-3 (1) के अन्तर्गत प्रावधान है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपयोग करे।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों के राज्य अन्तर्गत अनुपालन की सामूहिक जिम्मेदारी को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विशेष रूप से अंगीकृत किये जाने की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में अधिनियम,2016 के प्रावधानों एवं तत्आलोक में अधिसूचित बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 के अन्तर्गत प्रवृत नियमों के प्रति समस्त पदाधिकारियों/कर्मियों को संवेदित किये जाने की आवश्यकता है।

अधिनियम में शामिल प्रावधानों में से निम्न धाराओं के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है :-

धारा-3 (1) - समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपयोग करे।

धारा-3 (2) - समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

धारा-21 - समान अवसर नीति का अनुपालन से सम्बन्धित प्रावधान।

धारा-34 - प्रत्येक सरकारी स्थापन में कुल रिक्तियों का 04 प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान

धारा-35 - प्रत्येक निजी स्थापन में कम से कम 05 प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए नियोजन से सम्बन्धित प्रावधान

धारा-40से45 - अवसंरचना एवं परिसर को सुगम्य बनाने से सम्बन्धित प्रावधान।

धारा-37 - गरीबी उन्मूलन इत्यादि से सम्बन्धित विशेष स्कीमों एवं विकास कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान।

अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर पुन: कार्यालय द्वारा विहित एवं प्रदान की जा रही सुविधाओं की इस आधार पर उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी चाहिए कि दिव्यांगजन पदाधिकारी/ कर्मचारी को अपनी क्षमता का उपयोग करने हेतु समुचित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। अवसंरचना एवं परिसर की सुगम्यता एवं समान अवसर नीति के अनुपालन की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी दिव्यांग पदाधिकारी/कर्मी एवं आवश्यक कार्यार्थ आगंतुक दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपयोग कर सके। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस'2019 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय के पूर्व निर्गत पत्र सं0-1285 दि0-27.11.2019 का भी संदर्भ लेने की कृपा की जाय।

(ग) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस दिवस से सम्बन्धित आयोजन की रूपरेखा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार के ज्ञापांक-550 दि0-18.11.2020 के तहत सभी सम्बन्धित प्रशासनिक इकाईयों को प्रेषित की जा चुकी है। आयोजन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निम्नारूप उल्लेख किया जा रहा है :-

(1) दिवस से सम्बन्धित आयोजन निम्न दो स्तर पर किये जायेंगे :-

(i) राज्य स्तर पर

(ii)जिला स्तर पर

क्र0पृ0त0............

(2) राज्य स्तरीय आयोजन सक्षम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा। आयोजन के क्रम में राज्य एवं जिला स्तर पर विविध श्रेणियों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/विशिष्ट दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु सम्मानित किया जायेगा। ये श्रेणियाँ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार'2020 अन्तर्गत निर्धारित श्रेणियों के संगत हैं। ये श्रेणियाँ निम्नानुसार है :-

(1) सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी/स्वरोजगाररत
(2) सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेन्सी
(3) दिव्यांग व्यक्तियों के निमित कार्यरत सर्वोत्तम व्यक्ति तथा संस्था
(4) रोल मॉडल
(5) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार हेतु सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास
(6) दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण सृजन में उत्कृष्ट कार्य
(7) पुनर्वासन सेवाएं प्रदान करने में सर्वोत्तम जिला
(8) उत्कृष्ट सृजनशील व्यस्क दिव्यांग व्यक्ति
(9) सर्वोत्तम सृजनशील दिव्यांग बच्चा
(10) सर्वोत्तम ब्रेल प्रेस
(11) सर्वोत्तम सुगम्य बेवसाइट
(12) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाला सर्वोत्तम जिला एवं
(13) सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाड़ी
(14) यू0डी0आई0डी0 परियोजना अन्तर्गत यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्माण का कार्य एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण का कार्य किये जाने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला

उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्ति हेतु आवेदन किये जाने सम्बन्धी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। ये आवेदन गुगल डॉक के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 27.11.2020, अपराह्न 4:00 बजे तक है। आवेदन प्राप्ति हेतु **Link-** https://forms.gle/vX8ne285LdyAcDCH6 है।

(3) जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग एवं जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र द्वारा समन्वय स्थापित कर जिला अन्तर्गत बुनियाद केन्द्र पर किया जायेगा।

इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/विशिष्ट दिव्यांगजनों को सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा विभिन्न श्रेणियों यथा उपरोक्त वर्णित 14 श्रेणियों के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु सम्मानित किया जायेगा। इससे सम्बन्धित सूचना स्थानीय प्रचार-प्रसार के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा की जायेगी।

किसी भी परिस्थिति में जिलों के अभ्यर्थियों को सम्मानित किये जाने हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नहीं भेजा जायेगा। सम्बन्धित आयोजन हेतु जिलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

राज्य एवं जिला स्तरीय आयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों से अनुरोध है कि दिवस के आयोजन हेतु यथा निदेशित अपेक्षित कार्रवाई निष्पादित की जाय। सभी आयोजनों के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु प्रदत्त निदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाय।

कृ0पृ0उ0............

(घ) इस दिवस के आयोजन के महत्व का रेखांकन के रूप में उल्लेख करना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दिवस को **"a day for all"** के रूप में आयोजित करता है। यह उत्तरोत्तर बढ़ती इस धारणा को प्रतिविम्बित करता है कि दिव्यांगता मानव जीवन दशा का एक हिस्सा है **(Disability is a part of human condition)**। लगभग प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनकाल के दौरान कभी न कभी अस्थायी अथवा स्थायी रूप से असहाय होने की दौर से गुजरता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात लगभग 01 अरब से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार के दिव्यांगता का अनुभव करते हैं। साथ ही इस क्रम में विश्व स्तर पर यह भी रेखांकित किया गया है कि सभी दिव्यांगताऐं प्रकट रूप में सामने नहीं होती है **-"Not all Disabilities are visible"**। हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्तर पर दिव्यांगता के साथ जीवनयापन कर रहे प्रत्येक के समक्ष आने वाली बाधाओं **(Barriers)** को समाप्त करने हेतु प्रयास करना है।

एक बड़ी जनसंख्या के भीतर अत्याधिक प्रभाविता के बावजूद दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य/केन्द्र स्तर पर समुचित तंत्र/संसाधन नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण व इससे उत्पन्न आपात स्थितियों व इसकी वजह से उत्पन्न अलगाव, पृथकता, नियमित जीवन में आए व्यवधान व भौतिक साधनों एवं आवश्यक सेवाओं में आए व्यवधान ने दिव्यांगजनों के जीवन व मनोदशा को गहरे रूप से प्रभावित किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2020 के लिए इस दिवस के आयोजन हेतु निर्धारित थीम Building Back Better : toward a disability - inclusive, accessible and sustainable post Covid-19 World" भी इसी बिन्दु एवं इसके निवारण हेतु उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों की महत्ता को रेखांकित करता है।

तदनुसार राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण एवं इसके कारण उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से दिव्यांगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु हरेक स्तर पर अपेक्षित व्यवस्थाऐं की जानी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व निर्गत विविध पत्रों के अन्तर्गत आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन (गाइडलाईन) प्रदान किए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस से सम्बन्धित उक्त दिव्यांग माह आयोजन के दौरान इनके सम्बन्ध में मिशन मोड में प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर'2020 के अवसर पर आयोजित दिव्यांग माह दिनांक-24 नवम्बर'2020 से 23 दिसम्बर'2020 के मध्य उपरोक्त बिन्दुओं के अनुरूप आयोजन करने की कृपा की जाय। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग दिवस (08 दिसम्बर'2020) के सम्बन्ध में भी आयोजन किया जाना अपेक्षित है। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में किये गये आयोजन/ कार्रवाई/प्रयासों से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय, जिसे इस कार्यालय द्वारा निर्मित वार्षिक रिपोर्ट (अधिनियम की धारा-83) तथा अधिनियम के राज्य अन्तर्गत अनुपालन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद हेतु वांछित अनुपालन प्रतिवेदन में शामिल किया जा सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 अन्तर्गत प्रदत्त उत्तरदायित्वों एवं शक्तियों के अनुरूप राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के परिप्रेक्ष्य में राज्य में दिनांक-24 नवम्बर से 23 दिसम्बर'2020 तक दिव्यांग माह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का अनुवीक्षण किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय। पुन: उल्लिखित है कि सभी आयोजनों के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु प्रदत्त निदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन

15.11.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030............

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0 (विविध)-03/2017-1457/आ०नि०को० दिनांक-19 नवम्बर'20

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 19.11.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0 (विविध)-03/2017-1457/आ०नि०को० दिनांक-19 नवम्बर'20

प्रतिलिपिः-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19.11.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।